दाण्डिक निगरानी 35/2025
नूर आलम बनाम स्टेट

24.07.2026

पत्रावली पेश। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्तुत निगरानी में धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिनांक 11.12.2024 को प्रदान किया जा चुका है तथा यह निगरानी परिवाद सं. 14710/9/2022 अली अहमद बनाम नूर आलम आदि धारा 379, 506 भा.दं.संहिता थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर के मामले में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं. 2 द्वारा पारित आदेश 30.08.2023 जिसके अंतर्गत निगरानीकर्ता 01 ता 05 को धारा 379,506 भा.दं.सं. के मामले में विचारण हेतु तलब किया गया है, से क्षुब्ध होकर इस आधार पर संस्थित किया गया है कि प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर बिना अभिलेखों का परीक्षण किये पारित किया गया है। जबकि थाना सिविल लाईन की पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र की जाँच की गयी थी, तब यह पाया गया था कि दिनांक 18.07.2022 की रात कोई घटना नहीं घटी थी और पक्षों के मध्य बंटवारे का मामला लंबित है, किंतु परिवादी ने निगरानीकर्तागण के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठे व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं.प्र.संहिता प्रस्तुत की गयी थी।

संलग्नक में सूची 7ख से प्रश्नगत आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, आधार कार्ड, छायाप्रति बिजली बिल एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी की ओर से लिखित आपत्ति 16ग दाखिल की गयी है, जिसमें प्रश्नगत आदेश को वैध होना बताते हुए यह कहा गया है कि अली अहमद विकलांग वृद्ध व्यक्ति है और घटना के समय वह घर पर था जहाँ दुकानों की चौकीदारी करने वाले ईनाम के द्वारा विपक्षी सं. 02 को फोन पर ईंटो की चोरी होने की सूचना दी गयी थी और उसमें अपने बयान धारा 202 दं.प्र.संहिता में इस कथन को कहा। यह भी कहा गया है कि परिवादी से निगरानीकर्तागण रंजिश रखते हैं तथा परिवादी के कबाड़ी के काम के सामानों को भी चोरी करके बेच देते हैं। इस प्रकार यह कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत् है।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे जाहिर होता है कि पक्षकार निरंतर अनुपस्थित चले आ रहे हैं जबकि पर्याप्त व अंतिम अवसर दिया जा चुका है। यहाँ तक कि निगरानीकर्ता के द्वारा मुताबिक आदेश 31.03.2026 आवश्यक प्रपत्र दाखिल भी नहीं किये गये हैं, जबकि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.08.2024 के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवाद पत्र में वर्णित घटना दिनांकित 18.07.2022 समय रात 02 से 03 बजे के बीच गोदाम से 1500 ईंटे चोरी किये जाने के संबंध में परिवादी एवं गवाह ईनाम उर्फ ईनामुलहक का बयान कराया गया है। इसी प्रकार परिवाद के समर्थन में सी.डब्लयू 01 के रूप में

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.24 17:35:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चौकीदान ईनाम ने भी परिवाद पत्र में वर्णित घटना का समर्थन किया है, जैसा कि आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है।

अतः मामले की तथ्य व परिस्थितियों में यह स्पष्ट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश सी.डब्ल.यू 01 के रूप में ईनाम तथा परिवादी के बयान धारा 200 दं.प्र.संहिता को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् ढंग से पारित किया गया है, जिसमें कोई तात्विक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होता है। तदनुसार निगरानी संधारणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य और प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.08.2023 पुष्ट किये जाने योग्य है और यह दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है और प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.08.2023 पुष्ट किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर